

माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल
BOARD OF SECONDARY EDUCATION, MADHYA PRADESH, BHOPAL

हाई स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा (10+2) 2010
HIGH SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION (10+2) 2010

अंकसूची

स.क्र. 0064951
S.NO.

MARCH - 2010

MARKSHEET



केन्द्र क्रमांक CENTRE NO.	संस्था क्रमांक SCHOOL NO.	नामांकन / पंजीयन क्रमांक ENROLMENT / REGISTRATION NUMBER	नियमित/स्वाध्यायी REGULAR / PRIVATE	रोल नंबर ROLL NUMBER
132203	132203	A08-132203-033	REGULAR	101342332

छात्र/छात्रा का नाम
STUDENT'S NAME HARNEK SINGH

पिता का नाम
FATHER'S NAME KULDEEP SINGH

माता का नाम
MOTHER'S NAME KURVINDER KAUR

जन्म तिथि
DATE OF BIRTH 01.08.1994 FIRST AUGUST -NINETEEN NINETY FOUR



** संस्था / केन्द्र का नाम
SCHOOL / CENTRE NAME GURU HARGOVIND PUBLIC H.S. SCHOOL, BUTI KUIYA GOHAD BHIND

विषय / SUBJECTS	अधिकतम अंक MAX. MARKS	न्यूनतम सैद्धांतिक MIN. THEO.	न्यूनतम प्रायोगिक MIN. PRACT.	प्राप्तक / MARKS OBTAINED			विशेष REMARKS
				सैद्धांतिक THEORY	प्रायोगिक PRACT.	योग TOTAL	
HINDI (SPECIAL)	100	33		040	-	040	
ENGLISH (GENERAL)	100	33		033	-	033	
PUNJABI (GENERAL)	100	33		078	-	078	DISTN
MATHEMATICS	100	33		078	-	078	DISTN
SCIENCE	100	25	08	025	23	048	
SOCIAL SCIENCE	100	33		054	-	054	
	600			महायोग / GRAND TOTAL			331

महायोग शब्दों में
GRAND TOTAL IN WORDS: THREE HUNDRED THIRTY ONE

परीक्षाफल / RESULT PASS IN SECOND DIVISION

पर्यावरण शिक्षा एवं आपदा प्रबंधन
Environmental Education & Disaster Management A+

ग्रेड
GRADE

(केवल नियमित परीक्षार्थियों के लिए For Regular Candidates only)
निर्माकृत आंतरिक विषयों में निपुणता प्राप्त की :-
Attained Proficiency in the following internal subjects :-
(1) समाजोपयोगी उत्पादक कार्य Socially Useful Productive work.
(2) शारीरिक, योगा एवं नैतिक शिक्षा Physical, Yoga & Moral Education.

प्राचार्य के स्याही से हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा
SEAL AND SIGNATURE OF THE PRINCIPAL 29-05-2010

PRINCIPAL

Guru Hargobind Public H.S. School
Buti Kulya Gohad, Bhind (M.P.)

Code No. 132203

सचिव / SECRETARY

हाई स्कूल

75% या ३

संबंधी



ATTESTED

NOTARY PUBLIC
DELHI (INDIA)

ENTRY No. 1117

AG
28.9



ASHEESH KUMAR
SDM (Rajouri Garden)
Government of N.C.T. of Delhi
Plot. No. 3, 2nd Floor, Shivaji Place,
Rajouri Garden, New Delhi-110027

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
अपोस्टिल / APOSTILLE
(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

Country: REPUBLIC OF INDIA


This public document
MARK SHEET
has been signed by SECRETARY
acting in the capacity of SECRETARY
bears the seal/stamp of SDM, RAJOURI GARDEN, NEW DELHI

Certified
at NEW DELHI, INDIA on 30-Sep-2024
by SO (OI/Attestation) MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS
No. MPBP0005635024

Seal / Stamp is issued to HARNEK SINGH

Signature

0I 2619323



एवं
व
रना
न्यूनतम 33 अंक प्राप्त होना आवश्यक है। गोपित व सामाजिक
(Faukai Kumar)
के अलग-अलग 25-75 निर्धारित है। उत्तीर्ण होने के लिये
संकरते हुए विषय में कुल 33% अंक प्राप्त करमा अनिवार्य

अधिक प्राप्तांक होने पर प्रथम श्रेणी, 45% अथवा अधिक
ना अधिक किंतु 45% से कम प्राप्तांक होने पर तृतीय श्रेणी

एक अवसर आगामी पूरक परीक्षा में प्रदान किया

ज्ञा वाले विषय में सैद्धान्तिक अथवा प्रायोगिक परीक्षा में न्यूनतम 33 प्रतिशत अंक प्राप्त
निलित होने से छूट रहेगी। उन्हें केवल उसी भाग में परीक्षा देनी होगी जिसमें प्राप्तांक 33

प्रतिशत से कम है।

7. पर्यावरण शिक्षा एवं आपदा प्रबंधन विषय की परीक्षा में सम्मिलित परीक्षार्थियों को सैद्धान्तिक एवं प्रायोगिक परीक्षा के योग
प्राप्तांकों के आधार पर निम्नानुसार ग्रेड प्रदान किये गए हैं।

प्राप्तांक	81 से 100	60 से 80	41 से 59	31 से 40	01 से 30
ग्रेड	A+	A	B	C	D

विशेष :

- अंकसूची में किसी भी प्रकार की त्रुटि होने पर त्रुटि दर्शाते हुए मूल अंकसूची तुरंत अथवा अंकसूची प्राप्ति की तिथि से अधिकतम
2 माह के अन्दर मण्डल कार्यालय को सुधार हेतु भेजें। संशोधन निःशुल्क किया जा सकेगा। इसके पश्चात् प्राप्त होने वाले
प्रार्थना - पत्रों पर विचार किया जाना सम्भव नहीं होगा।
- प्राप्तांकों का सत्यापन शुल्क रू. 100/- (एक सौ रूपये) प्रति प्रश्न - पत्र निर्धारित है। परीक्षार्थी प्राप्तांकों के सत्यापन के विषयों
एवं प्रश्न पत्रों का स्पष्ट उल्लेख करते हुए मण्डल द्वारा निर्धारित शुल्क एवं अंकसूची की सत्यापित फोटो कापी के साथ,
परीक्षाफल घोषणा तिथि से 21 दिन के अन्दर मण्डल मुख्यालय में, निर्धारित आवेदन -पत्र जमा कर सकते हैं। मण्डल
विनियमों में उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन का प्रावधान नहीं है। आवेदन पत्र संबंधित संस्था के माध्यम से भी प्रेषित किये
जा सकते हैं। किन्तु आवेदन पत्र हर स्थिति में परीक्षाफल घोषित तिथि से 21 दिवस के अंदर मण्डल मुख्यालय को प्राप्त हो
जाना चाहिए। नियत अवधि के बाद प्राप्त आवेदन पत्र मान्य नहीं होंगे।